

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-सा-3-479/दस-2013-301/2000टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 29 मई, 2013

कार्यालय - ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक
पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की
स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश
हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के
कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1563/दस-
2012-301/2000 टी0सी0, दिनांक 06 नवम्बर,
2012 जिसके द्वारा महँगाई राहत दिनांक 01
जुलाई, 2012 से 72 प्रतिशत स्वीकृत की गयी
थी, के कम में राज्यपाल महोदय द्वारा, औसत
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि
की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप
दिनांक 06 नवम्बर, 2012 में उल्लिखित दरों
का संशोधन करते हुए दिनांक 01 जनवरी,
2013 से महँगाई राहत की 08 प्रतिशत की एक
और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान
की गयी है।

2- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में
दिनांक - 01 जनवरी, 2013 से 08 प्रतिशत
की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर
अनुमन्य महँगाई राहत की दर 72 प्रतिशत से
बढ़कर 80 प्रतिशत हो जायेगी।

3- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो
एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे
नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे
अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में
लिया जायेगा।

4- यह आदेश उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक
उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।
उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से
आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों /
पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन
संख्या-सा-3- जी0आई0-06/ दस-2013-
301/2000, दिनांक 07 मई, 2013 द्वारा जारी
किए जा चुके हैं।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No-Sa-3-479 /X-2013-301/2000 T.C.
Dated : Lucknow: 29 May, 2013

Office - Memorandum

Subject : Grant of dearness relief to State
Government's civil / family
pensioners.

The undersigned is directed to refer
to the office memorandum No. Sa-3-
1563/X-2012-301/2000 T.C. dated
November 06, 2012 on the above
mentioned subject, sanctioning additional
instalment of dearness relief with effect
from July 01, 2012 and to say that the
Governor is pleased to further enhance by
08 percent, with effect from January 01,
2013, the rate of dearness relief
admissible to all civil / family pensioners
of this Government to compensate them
for the rise, in the meanwhile, in the
average consumer price index.

2- As a consequence of the above-
mentioned 08 percent rise, the dearness
relief payable on the pension will rise
from existing 72 percent to 80 percent
with effect from January 01, 2013.

3- In the calculation of dearness relief,
fraction of a rupee less than its half shall
be ignored while half or more shall be
counted as one rupee.

4- These orders will not be applicable to
the Judges of High Court, employees of
local bodies and public undertakings /
corporations etc. in respect of
whom separate orders will be issued by
respective departments. Orders in
respect of All India Service pensioners/
family pensioners have been issued vide
endorsement number G-3-G.I.-06/X-
2013- 301/2000, dated May 07, 2013.

5- यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/ दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

7- महँगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

(अजय अग्रवाल)
सचिव, वित्त।

(Ajay Agarwal)
Secretary, Finance.

सेवा में,

उ०प्र० शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

To,

All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list.